रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6—मार्च 12, 2004 (फाल्गुन 16, 1925)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6—MARCH 12, 2004 (PHALGUNA 16, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 273

भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 217

भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं *

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 175

भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 177

भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 1231

भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 427

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 73

भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 273

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 217

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 175

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 177

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 1231

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 427

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 73

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 फरवरी 2004

संख्या 19-प्रेज/2004--राष्ट्रपति सचिवालय की पराक्रम पदक प्रदान करने संबंधी दिनांक 17 जनवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या 5-प्रेज/73, जिसे दिनांक 10 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या 89-प्रेज/98 तथा दिनांक 28 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं॰ 107-प्रेज/2000 के तहत पुनः संशोधित किया गया था, के तहत अधिसूचित संविधियों की सातवीं संविधि के अनुसरण में निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं:--

1. भारत सरकार पुलिस कार्मिक को यह पदक प्रदान किए जाने के लिए अर्हक विद्रोह-रोधी अथवा आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशन के लिए की जाने वाली कार्रवाईयों को समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगी।

2. पुलिस विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों अर्थात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के मुखिया/महानिदेशक/निदेशक को समय-समय पर जारी संविधियों, कानूनों तथा अन्य अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसरण में अपने पात्र पुलिस/कार्मिकों को पराक्रम पदक प्रदान करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।

3. सेवाकाल के दौरान मृतक वह पुलिस कार्मिक पराक्रम पदक के लिए पात्र होगा जिसने विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्रोह-रोधी आपरेशन अथवा आंतरिक सुरक्षा आपरेशन में भाग लिया हो।

4. जिस व्यक्ति को शौर्य पदक प्रदान किया जा चुका हो और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान वह घायल हो जाए तो वह भी पराक्रम पदक के लिए पात्र होगा।

5. ऐसे पुलिस कार्मिकों, जिन्हें यह पदक प्रदान किया गया है, के नामों का रजिस्टर राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी, 2004

संकल्प

सं. क्यू/हिंदी/621/58/98

इस मंत्रालय के 10 मई, 1995 के संकल्प संख्या *क्यू/हिंदी/621/32/93* के अधिक्रमण में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे लिखे अनुसार होगी :-

1. विदेश मंत्री	अध्यक्ष
2. विदेश राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

संसद सदस्य

1. श्री वेद प्रकाश गोयल	संसद सदस्य (राज्य सभा)
2. श्रीमती कमला मनहर	संसद सदस्य (राज्य सभा)
3. श्री राधा मोहन सिंह	संसद सदस्य (लोक सभा)
4. श्री शीश राम ओला	संसद सदस्य (लोक सभा)

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

5. श्री रमाशंकर कौशिक	संसद सदस्य (राज्य सभा)
6. डा0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	संसद सदस्य (लोक सभा)

विदेश मंत्रालय द्वारा नामित गैर- सरकारी सदस्य

7. डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह
सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान एवं प्रोफेसर (मगध विश्वविद्यालय)

8. श्री महेश लाल दास
हिंदी विद्वान कार्यवाहक कुलपति, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

9. श्री अनुराग चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार एवं हिंदी सेवी

10. श्री हरिवंश
वरिष्ठ पत्रकार

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

11. डा0 केशव फालके,
12- बी /20, शासकीय अधिकारी निवास
हाजी अली, मुम्बई - 400034

12. डा0 मधु धवन
के-3, अन्ना नगर(पूर्वी) चेन्नई- 600102(तमिलनाडु)

13. डा0 चन्द्रकांत मेहता
16 हैवन पार्क, रामदेव नगर, सैटेलाइट, अहमदाबाद - 380015(गुजरात)

नागरी प्रचारिणी सभा के प्रतिनिधि

14. डा0 पद्माकर पाण्डेय, प्रधानमंत्री
नागरी - प्रचारिणी सभा, वाराणसी

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के प्रतिनिधि

15. श्री भीष्म कुमार चुघ,
केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के प्रतिनिधि

सरकारी सदस्य

1. विदेश सचिव

2. सचिव,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

3. सचिव(पी सी डी)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

4. सचिव एवं डीन
विदेश सेवा संस्थान
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

5. सचिव (आना)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

6. अपर सचिव(प्रशासन)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

7. अपर सचिव (यू0 एन0)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

8. अपर सचिव(एफ0 ए0)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

9. महानिदेशक,
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली

10. संयुक्त सचिव (प्रशासन) सदस्य सचिव
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

11. संयुक्त सचिव(ई0 ई0)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

12.संयुक्त सचिव(एक्स पी)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

13. संयुक्त सचिव(सी पी वी)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

14. संयुक्त सचिव(अफ्रीका)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

15. संयुक्त सचिव
राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

समिति का कार्यक्षेत्र:

हिंदी सलाहकार समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम नियमों मे निहित प्रावधानों और केन्द्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के संबंध में जारी किए गए निर्देशों / अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में संबंधित विभागों के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सलाह देना है । यदि कोई हिंदी सलाहकार समिति राजभाषा नीति या उसके संबंध में जारी किए गए किसी निर्देश / अनुदेश में कोई परिवर्तन सुझाती है तो ऐसे सुझाव राजभाषा की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना अमल में नहीं लाए जाएंगे ।

समिति का कार्यकाल:

1. समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख की अधिसूचना से तीन वर्ष का होगा, परन्तु समिति में नामजद कोई संसद का सदस्य नही रहता है तो वह इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा ।

2. समिति के कार्यकाल के दौरान रिक्त स्थानों पर नियुक्त सदस्य केवल शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे ।

विविध:

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर कर सकती है ।

2. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों का राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा -निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा -भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकशित किया जाए ।

के.वी. भगीरथ
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 25 फरवरी, 2004

संकल्प

सं. 21-6/99-यू.-5

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद के संगम ज्ञापन और नियमावली, 1995 के नियम 4 प्रावधान के अनुसार भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए परिषद में नामित करती है :-

1. प्रो0 डा0 बी.एव. ब्रिज किशोर, अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री महेश शर्मा,
   अध्यक्ष,
   खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग,
   नई दिल्ली-110001

3. प्रो0 माधव गाडगिल,
   पर्यावरणीय विज्ञान केन्द्र,
   भारतीय विज्ञान संस्थान,
   बंगलौर-560012

4. श्री जे. के. बजाज,
   नीति अध्ययन केन्द्र,
   27, राजाशेखरन स्ट्रीट,
   मयलापुर, चेन्नई-600004

उन राज्यों के नाम जिनके प्रतिनिधि परिषद में शामिल किए जाने हैं, बाद में सूचित किए जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

संकल्प

सं. 21-6/99-यू.-5

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद के संगम ज्ञापन और नियमावली, 1995 के नियम 14 के प्रावधान के अनुसरण में, भारत सरकार तत्काल प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि के लिए निम्नानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद का शासी निकाय गठित करती है :-

1. प्रो० डा० बी.एच. बृज किशोर, अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री महेश शर्मा
अध्यक्ष
खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग
नई दिल्ली

3. प्रो० माधव गाडगिल,
पर्यावरणीय विज्ञान केन्द्र,
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर- 560012

4. श्री जे.के. बजाज
नीति अध्ययन केन्द्र
27, राजशेखरन स्ट्रीट
मयलापुर, चेन्नई-600004

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

(तकनीकी शिक्षा ब्यूरो)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2004

संकल्प

विषयः शिक्षा का व्यावसायोन्मुख बनाना – व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन।

सं. एफ. 5-2/2003-टी.एस. I/III

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में विविध शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1988 में शुरू की गई जिसे 1992-93 में संशोधित किया गया ताकि रोजगार प्राप्त करने की वैयक्तिक क्षमता को बढ़ाया जा सके, कौशल प्राप्त जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन को कम किया जा सके और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक अवसर प्रदान किए जा सके। इस स्कीम का वर्ष 1993, 1995, 1996 में विभिन्न एजेंसियों द्वारा तथा वर्ष 1998 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा समीक्षा/मूल्यांकन किया गया। विभिन्न समीक्षा समूहों/समितियों की सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की स्कीम संशोधित की जा रही है। ताकि इस स्कीम को माड्यूल स्वरूप की तथा क्षमता आधारित बनाया जा सके। प्रस्तावित स्कीम बहुविधा-प्रवेश तथा बहुविधा-निर्गम स्वरूप की होगी और छात्रों को उसी व्यवसाय में क्षमताओं के उच्चतर स्तरों को स्वेच्छानुसार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस स्कीम के उद्योगों और अन्य नियोक्ताओं के साथ गहन सम्पर्क होंगे ताकि इसे पूर्णतः मांग आधारित बनाया जा सके। इस प्रस्तावित स्कीम में आसपास के उद्योग/उद्यम/संसाधन केन्द्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रावधान है।

2. व्यावसायोन्मुख शिक्षा के लिए संयुक्त परिषद गठित करने के दिनांक 20.4.90 की अधिसूचना सं0 एफ.7-3/88 वी.ई. के अधिक्रमण में समग्र नीति दिशा-निर्देश प्रदान करने और व्यावसायोन्मुख शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन, योजना और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायोन्मुख शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके कार्य निम्नानुसार होंगे :-

(i) राष्ट्रीय व्यावसायोन्मुख शिक्षा अर्हता और प्रमाण पत्र कार्य ढांचा समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय व्यावसायोन्मुख शिक्षा अर्हता और प्रमाण पत्र कार्य ढांचा तैयार करना।

(ii) व्यावसायोन्मुख शिक्षा के लिए संस्थाओं का चयन करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।

(iii) स्वीकृत व्यावसायिक विषयों के लिए पाठ्यचर्या तैयार करना और अभिनिर्धारित विषयों के लिए पूर्व अध्ययन स्वीकृति के लिए दिशा-निर्देशों का अनुमोदन करना।

(iv) राष्ट्रीय क्षमता जांच एजेंसी स्थापित करने के लिए रूपरेखा अनुमोदित करना।

(v) विभिन्न संगठनों/मंत्रालयों द्वारा आयोजित व्यावसायोन्मुख कार्यक्रमों की योजना और समन्वय।

(vi) सभी स्तरों पर व्यावसायोन्मुख कार्यक्रमों का विकास करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

(vii) व्यावसायोन्मुख शिक्षा में सरकारी/निजी क्षेत्र के उद्योग की सहभागिता के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

(viii) कार्मिकों के लिए व्यावसायोन्मुख शिक्षा के कार्यक्रम शुरु करने और गैर औपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीमें तैयार करना।

(ix) व्यावसायोन्मुख शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा

राष्ट्रीय व्यावसायोन्मुख शिक्षा और प्रशिक्षण सलाहकार समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक समग्र निकाय होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1	सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
3	अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
4	निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल प्रणाली संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
5	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
6	आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
7	प्रो0 डा0 वी एस राजू, प्लाट नं0 74, रोड नं0 9, जुबली हिल्स, हैदराबाद- 500003, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
8	डा0 अनिल गुप्ता, प्रोफेसर, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
9	डा0 टी.एन. धर, शैक्षिक योजना निर्माता, योजना विहार, दिल्ली	सदस्य

(व्यावसायोन्मुख शिक्षा में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों के दो व्यक्ति)

10	*	
11	ब्रदर पी.वी. मैथ्यू अध्यक्ष, डॉन बोस्को तकनीकी स्कूल,	सदस्य

	लिमिटेड, हावड़ा	

(उद्योग/व्यापार संघ के 3 प्रतिनिधि)

12	महासचिव, ए एस एस ओ सी एच ए एम	सदस्य
13	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, अंडे ई/11, स्वामी राम तीर्थ नगर, झंडेवालां एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-55	सदस्य
14	डा0 महेश शर्मा, अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग आयोग, 1-बी, बाबा खडग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
15	संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा)	सदस्य
16	संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	सदस्य
17	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	सदस्य
18	संयुक्त सचिव और डी.जी.ई.टी., श्रम मंत्रालय	सदस्य
19	संयुक्त सचिव (तकनीकी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य--सचिव

3. राष्ट्रीय व्यावसायोन्मुख शिक्षा सलाहकार समिति अपनी कार्य प्रक्रिया निर्धारित करेगी और वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता हे कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित एजेंसियों और नियोक्ता संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी.एस.पांडे
संयुक्त सचिव

संकल्प

विषयः राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी का गठन

सं. एफ. 5-2/2003-टी.एस. I/H

व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1988 से चल रही है। विभिन्न समीक्षा ग्रुपों/समितियों की सिफारिशों पर योजना के स्वरूप को मोड्यूलर तथा सक्षमता आधारित बनाने के लिए इसे संशोधित किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की संशोधित योजना एक पृथक विषय होगा जिसका आशय कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए निर्धारित व्यवसाय हेतु छात्रों को तैयार करना है। पाठ्यचर्या डिजायन बहु-प्रवेश और बहु-निर्गम पैटर्न पर आधारित होगा। पाठ्यचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि सिद्धान्त और व्यावहारिक प्रशिक्षण की सहकिया 1:2 के अनुपात में हो। औद्योगिक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक की उपस्थिति में क्लास रूम प्रशिक्षण का विस्तार होगा। सक्षमताओं का सतत मूल्यांकन होगा।

2. वी.ई.टी. की संशोधित योजना में मानदंड तथा प्रणालियाँ विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी स्थापित करने की परिकल्पना की गई है ताकि योजना से संबद्ध कौशलों, सक्षमताओं का मूल्यांकन, मूल्यांकन केन्द्रों तथा मूल्यांकनकर्ताओं की मान्यता, दक्षता केन्द्र तथा अन्य पहलुओं के स्तरों को निर्धारित किया जा सके। राज्य स्तर पर उपयुक्त संस्थाओं का पता लगाया जाएगा और मूल्यांकन केन्द्रों (आई टी आई, पालिटेक्निक, इंजीनियरी कालेज, राज्य व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड आदि) के रूप में राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी द्वारा पदनामित किया जाएगा। वे शुल्क के आधार व्यक्तियों का सक्षमता परीक्षण करेंगे। मूल्यांकन केन्द्र केवल परीक्षण कार्य करेंगे। केडिट/प्रमाण पत्र राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी एक पद्धति तैयार करेगी जिसके द्वारा उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के कतिपय स्तर परम्परागत प्रणाली की डिग्रियों के बराबर समझे गए हैं। केडिट प्रणाली विकसित की जाएगी और पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की समानता का विशेषज्ञ समिति/समितियों द्वारा पालन किया जाएगा। राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी व्यावसायिक शिक्षा विषयों में क्षैतिज गतिशीलता को भी सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में पहले से विद्यमान अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड की देख रेख में की जाएगी और उसके पास

व्यावसायिक शिक्षा के मानदंडों तथा स्तरों को स्थापित करने तथा कार्यान्वित करने की सांविधिक शक्तियाँ होंगी।

3. राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की एक राष्ट्र स्तरीय समिति गठित की गई है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1.	अपर सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
4.	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
5.	डॉ0 जी.सी. माहेश्वरी प्रोफेसर, एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदरा, गुजरात	सदस्य
6.	प्रोफेसर जे.एल. आजाद नीपा, नई दिल्ली	सदस्य
7.	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, नई दिल्ली (उद्योग/व्यापार/संघो के छः प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	महासचिव, एसोचेम	सदस्य
9.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय भारतीय वस्त्र निगम	सदस्य
10.	अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ई आई एल भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	सदस्य
11.	प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया [illegible], जनपथ, नई दिल्ली	सदस्य
12.	परियोजना प्रबंधक, कांफेडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नई दिल्ली	सदस्य
13.	निदेशक, भारतीय सड़क एवं परिवहन विकास संघ	सदस्य
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
14.	संयुक्त सचिव (तकनीकी)	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा)	सदस्य

16.	संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	सदस्य
17.	वित्त सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	सदस्य
	श्रम मंत्रालय	
18.	संयुक्त सचिव तथा डी.जी.ई.टी. श्रम मंत्रालय	सदस्य
19.	संयुक्त निदेशक, पी.एस.एस.सी., आई.वी.ई, भोपाल	सदस्य
	(तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के दो प्रिंसिपल)	
20.	प्रिंसिपल. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	सदस्य
21.	प्रिंसिपल, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई	सदस्य
22.	निदेशक/डी.एस. (व्यावसायिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य-सचिव

4. विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात यह समिति राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी कार्य निर्वहन प्रकिया स्वयं तय करेगी और जितनी बार यह आवश्यक समझे बैठक करेगी। इस समिति का कार्यकाल राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी स्थापित करने के निमित्त दिशा-निर्देश तैयार करते ही पूरा हो जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित एजेंसियों तथा कर्मचारी संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचनार्थ इसे भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

वी.एस.पांडे
संयुक्त सचिव

संकल्प

विषय: शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना– राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता तथा प्रमाणन समिति का गठन

सं. एफ. 5-2/2003-टी.एस. I/III

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में 1988 में 10+2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई थी जिसे 1992-93 में संशोधित किया गया था जिसका उद्देश्य विविध शैक्षिक अवसर प्रदान करना है ताकि स्वरोजगार में बढ़ोत्तरी हो सके, कुशल जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति के बीच व्याप्त अंतराल को कम करना और साथ ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त करनेवालों के लिए वैकल्पिक अवसर भी प्रदान करना है। विभिन्न पुनरीक्षा दलों/समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर इस स्कीम को संशोधित किया जा रहा है ताकि इसे और अधिक प्रासंगिक तथा रोजगारोन्मुखी बनाया जा सके। ये पाठ्यक्रम मॉड्यूलर स्वरूपवाले तथा सक्षमता आधारित होंगे। इस पाठ्यचर्या का स्वरूप ऐसा होगा जिसमें बहुविधा-प्रवेश एवं बहुविधा-निर्गम की स्वतंत्रता होगी। विद्यार्थियों को एक ही व्यवसाय में उच्चतर सक्षमता स्तर पर सीधे प्रवेश पाने का अवसर प्राप्त होगा। नियोज्यता के अवसर में सुधार हेतु विद्यार्थियों को बहु-कौशल वाले क्षेत्रों में अवसर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को व्यावसायिक विधाओं से शैक्षिक विधाओं तथा शैक्षिक विधाओं से व्यावसायिक विधाओं में प्रवेश लेने के अवसर दिए जाएंगे।

2. उपर्युक्त स्कीम को लागू करने हेतु राष्ट्र स्तरीय पेशेवर अनुकूल सक्षमता के आधार पर अर्हता अभिनिर्धारण हेतु एक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। इस प्रणाली में ऐसी आवश्यक जानकारी, समझबूझ तथा कौशलों का उल्लेख होगा जो संपूर्ण सक्षमता हासिल करने हेतु किसी व्यक्ति में होना चाहिए। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे में शैक्षिक तथा तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सभी अर्हताओं हेतु एक ऐसे कार्यढांचे की व्यवस्था है जो व्यापक, राष्ट्रस्तरीय सुसंगततायुक्त होने के बावजूद एक लचीला कार्यढांचा है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि विद्यालय क्षेत्र, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण क्षेत्र और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक के अपने-अपने विभिन्न औद्योगिक तथा संस्थागत संपर्क हैं, यह अर्हता ढांचा इन विभिन्न क्षेत्रों को एक ही कार्यढांचे के साथ जोड़ता है जिसमें शिक्षण परिणामों, अर्हता, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संबंधी तरीकों का उल्लेख करते हुए अध्ययन स्तरों, अर्हता विषयों तथा दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है। "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता

एवं प्रमाणन संघा" नामक प्रणाली को तैयार करने हेतु विशेषज्ञों तथा पदाधिकारियों को लेकर एक समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता तथा प्रमाणन संघा समिति की संरचना इस प्रकार होगी :-

1.	अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
4.	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
5.	निदेशक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोड	सदस्य
6.	अध्यक्ष, तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
7.	निदेशक, तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
	(व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े तीन शिक्षाविद/विशेषज्ञ)	
8.	प्रो0 वी.एस. राजू प्लॉट सं0 74, रोड सं0 9, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500003, आंध्र प्रदेश	सदस्य
9	डॉ0 अनिल गुप्ता, प्रो0 भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
10.	डॉ0 टी.एन. धर, शिक्षा आयोजक, योजना विहार, नई दिल्ली	सदस्य
	(व्यावसायिक शिक्षा के कार्य में लगी हुई स्वैच्छिक एजेंसियों से तीन व्यक्ति)	
11	*	
12	ब्रदर टी.वी. मैथ्यू सुपरिनटेण्डेंट, डान बोसको टेक्निकल स्कूल, लिलुहा, हावड़ा	सदस्य
13.	डा0 ए. के. बासु मुख्य कार्यकारी ग्रामीण प्रौद्योगिकीकरण सोसाइटी, रांची	

	उद्योग/व्यवसाय संघों के छह प्रतिनिधि	
14	महासचिव, ए एस एस ओ सी एच ए एम	सदस्य
15.	परियोजना प्रबंधक कंफेड्रेशन आफ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, एम-19, मेजानाईन फ्लोर, हेमकूंट चेम्बर, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	सदस्य
16	अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ई आई एल भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	सदस्य
17	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, नई दिल्ली	सदस्य
18	अध्यक्ष, भारत रबड़ बोर्ड	सदस्य
19	प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया लि0 जनपथ, नई दिल्ली	सदस्य
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
20	संयुक्त सचिव (तकनीकी शिक्षा)	सदस्य
21	संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा)	सदस्य
22	संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	सदस्य
	श्रम मंत्रालय	
23	संयुक्त सचिव एवं डी.जी.ई.टी., श्रम मंत्रालय	सदस्य
24	निदेशक/उप सचिव व्यावसायिक शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव

3. यह समिति ऐसी आवश्यक जानकारी, समझबूझ तथा कौशलों का उल्लेख करेगी जो संपूर्ण सक्षमता हासिल करने हेतु किसी व्यक्ति में होना चाहिए। विस्तृत चर्चाओं और विचार-विमर्शों के बाद यह समिति, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अर्हता निर्धारित करेगी और प्रमाणन ढाँचा तैयार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता और प्रमाणन खंचा समिति कार्य की अपनी प्रकिया निर्धारित करेगी और जितनी बार वह उचित समझे बैठक करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित एजेंसियों तथा नियोजक संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचनार्थ इसे भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

वी.एस.पांडे
संयुक्त सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक : 16.2.2004

संकल्प

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 फरवरी 2004

राष्ट्रीय महिला कोष के नियमों और विनियमों के नियम 9(i) के उपबंध के अनुसरण में तथा दिनांक 1.8.2000, के संकल्प संख्या 10-3/96-आई.एम.वाई./आर.एम.के. में आंशिक आशोधन करते हुए, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित करती है :-

1.	श्री राकेश मित्तल डी-II/505, जलतरंग लोक पुरम दूसरा पोखरन रोड़ थाणे (प.)-400601 महाराष्ट्र	-	मौजूदा सदस्य
2.	सुश्री क्रांति अरूण साठे 5-बी., ब्यूना कासा, दूसरा तल सर.पी.एम. रोड़, फोर्ट मुम्बई-400023	-	मौजूदा सदस्य
3.	श्रीमती सूरमा पाधी प्लाट नं. 1267/1 ए., नयापल्ली भुवनेश्वर, उड़ीसा-751012	-	मौजूदा सदस्य
4.	श्री अजीत कुमार मैती सी.ई.ओ., एफ.-3, गीतांजली पार्क, 18/3-ए कुमुद घोषाल रोड़, अरईदाहा कोलकाता-700057	के स्थान पर	श्रीमती किरण माहेश्वरी "साई किरण" 457, अम्बामाता योजना उदयपुर-313001
5.	पद्मश्री जया अरूणाचलम अध्यक्ष, वर्किंग वीमेन्स फोरम 55, भीमसेन गार्डन रोड़ मईलापुर, चैन्नई-600004	के स्थान पर	श्री अनिल भोज जैन जी-1, पूजा अपार्टमेंट्स 34, ग्रेटर त्रिरूपति कॉलोनी इंदौर, मध्य

			प्रदेश-452001
6.	दीनदयाल शोध संस्थान के प्रतिनिधि, 7-ई, स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली-110055	के स्थान पर	सुश्री सुप्रिया एम. केलोवकर 5, चिनार गार्डन्स के.बी.जोशी रोड़, शिवाजी नगर, पुणे-411005
7.	डा. रानी बंग, "सर्च", गढ़ चिरौली, महाराष्ट्र	के स्थान पर	श्री ए.एल. नरसिंह मूर्ति सचिव, वाई.जे.एन.एन. एस., द्वारा ग्राम सीरी, जे.पी.नगर, नंदिराजु थोटा, गुनटूर, आन्ध्र प्रदेश-522120

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए:

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वीणा एस. राव
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25 February, 2004

No.19-Pres/2004 - In pursuance of the Statute "Seventhly" of the Statutes notified vide President's Secretariat Notification No.5-Pres/73 dated 17 January, 1973 and further amended vide Notification No.89-Pres/98 dated 10 July, 1998 and No.107-Pres/2000 dated 28 August, 2000 relating to the award of the Parakram Padak, the following Rules are notified :-

1. The Government of India shall from time to time specify the areas in which Counter – Insurgency Operation or Internal Security Operations are being undertaken which shall qualify a police person for the award of this medal.

2. All Heads of Police Departments i.e. Director Generals of Police in the States/Union Territories and Heads/Director Generals/Director of Central Police Organisations are delegated powers to award Parakram Padaks to their eligible police personnel in accordance with provisions of Statutes, Rules and instructions issued from time to time.

3. A police personnel who dies in the course of service and has participated in the Counter-Insurgency Operation or in the Internal Security Operation in the specified area shall be eligible for award of the Parakram Padak.

4. A Gallantry Medal awardee if in the course of duties in the specified areas is wounded, he/she shall be eligible for the Parakram Padak.

5. A register containing names of police personnel who are awarded Parakram Padak shall be kept by such person(s) as the President may direct.

Barun Mitra
Director

Ministry of External Affairs

New Delhi, the 14th Jan. 2004

Resolution

No. Q/Hindi/621/58/98

In super cession of this Ministry's resolution No. Q/Hindi/621/58/98 dated 10 May, 1995 the Govt. of India, Ministry of External Affairs have decided to reconstitute the Hindi advisory Committee of the Ministry of External Affairs. The Composition of the reconstituted Committee shall be as follows:

1. Minister of External Affairs — Chairman

2. Minister of State for External Affairs, (DS) — Vice-Chairman

MEMBER OF PARLIAMENT

1. Sh. Ved Prakash Goyal, Member of Parliament (Rajya Sabha)
2. Smt. Kamla Manhar, Member of Parliament (Rajya Sabha)
3. Sh.Radha Mohan Singh, Member of Parliament (Lok Sabha)
4. Sh. Shish Ram Ola, Member of Parliament(Lok Sabha)

REPRESENTATIVES OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

5. Sh. Rama Shankar Kaushik, Member of Parliament (Rajya Sabha)
6. Dr. Laxmi Narayan Pandey, Member of Parliament (Lok Sabha)

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

7. Dr.Lakshmi Narayan Singh, Hindi Scholar& Prof.,(Magadh University)
8. Shri Mahesh Lal Das, Hindi Scholar, Working VC Vinoba Bhave University, Hazaribagh

9. Shri. Anurag Chaturvedi, Senior Journalist & Hindi Scholar.

10. Shri Harivansh , Senior Journalist

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

11.Dr. Keshav Falke, 12-B/20, Shaskeey Adhikari Niwas, Hazi Ali Mumbai-400034(Maharshtra)

12.Dr. Madhu Dhawan, K-3, Anna Nagar(East), Chennai-600102(TN)

13.Dr. Chandrakant Mehta, 16, Heaven Park, Ramdev Nagar, Satellite Ahmedabad-380015(Gujarat)

REPRESENTATIVE OF NAGARI PRACHARINI SABHA

14. Sh. Sudhakar Pandey, Pradhan Mantri, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi

REPESENTATIVE OF KENDRIYA SACHIVALAYA HINDI PARISHAD

15. Sh. Bhishm Kumar Chugh, Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi

OFFICIAL MEMBERS

1. Foreign Secretary

2. Secretary,
Deptt. Of Official Language,
Ministry of Home Affairs
New Delhi

3. Secretary (ER)
Ministry of External Affairs
New Delhi

4. Secretary & Dean, FSI
Ministry of External Affairs
New Delhi

5. Secretary (West)
Ministry of External Affairs
New Delhi

6. Addl. Secretary(AD)
Ministry of External Affairs
New Delhi

7. Add. Secretary (UN)
Ministry of External Affairs
New Delhi

8. Addl. Secretary (FA)
Ministry of External Affairs
New Delhi

9. Director General
Indian Council for Cultural Relations,
New Delhi

10. Joint Secretary (AD)
Ministry of External Affairs
New Delhi — Member Secy.

11. Joint Secretary (EE)
Ministry of External Affairs
New Delhi

12. Joint Secretary (XP)
Ministry of External Affairs
New Delhi

13. Joint Secretary (CPV)
Ministry of External Affairs
New Delhi

14. Joint Secretary (Africa)
Ministry of External Affairs
New Delhi

15. Joint Secretary,
Deptt. Of Official Language,
New Delhi

FUNCTIONS

The functions of the Hindi Salahakar Samiti is to advise the Ministry with regard to the implementation of the provisions relating to official language contained in the constitution, official language act and rules, and policy decisions of the kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Deptt. Of official language relating to official language and also in regard to progressive use of Hindi. In case Hindi Salahakar Samiti suggests any change in the official language Policy or any instructions issued regarding official language, the same should be referred to department of official language and should not be implemented without obtaining the concurrence of the Department of official language.

TENURE

The term of the committee shall be three years from the date of its formation, provided.

1. A Member of Parliament nominated to the committee shall cease to be a member of the committee as soon as he ceases to be member of Parliament.
2. Members appointed against mid-term vacancies shall be the member for the remaining period only.

GENERAL

1. The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

2. The Non-Official members taking part in the meeting of the Committee will be paid traveling and daily allowances at the rates prescribed from time to time by the Government of India keeping in view the instructions contained in O. M. No. II/20034/4/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987 of the Department of Official Language.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to Presidents Secretariat, Prime Ministry's office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, all members of the Committee and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K.V. Bhagirath
Joint Secretary

Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of Secondary & Higher Education)
****

New Delhi, the 25th February, 2004

No. 21-6/99 U-5

RESOLUTION

In accordance with the provision of Rule 4 of the Memorandum of Association and Rules, 1995 of National Council of Rural Institutes, Hyderbad, Government of India hereby nominates the following on the Council for a period of 3 years with immediate effect:

1. Prof. Dr. B.H.Briz-Kishore, Chairman

Members

2. Shri Mahesh Sharma
Chairman
Khadi and Village Industries Commission
New Delhi-110011.

3. Prof. Madhav Gadgil
Centre For Ecological Sciences
Indian Institute of Science
Bangalore-560012.

4. Shri J.K. Bajaj
Centre for Policy Studies
27, Rajasekharan Street
Mylapore, Chennai- 600004.

The names of states whose representatives to be included in the Council will be intimated later.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ravi Mathur
Joint Secretary

RESOLUTION

No. 21-6/99 U-5

In accordance with the provision of Rule 14 of the Memorandum of Association and Rules, 1995 of National Council of Rural Institutes, Hyderabad, Government of India hereby constitutes the Governing Body of National Council of Rural Institutes, Hyderabad as under for a period of 3 years with immediate effect:-

1. Prof. Dr. B.H.Briz-Kishore, Chairman

Members

2. Shri Mahesh Sharma
Chairman
Khadi and Village Industries Commission
New Delhi-110011.

3. Prof. Madhav Gadgil
Centre For Ecological Sciences
Indian Institute of Science
Bangalore-560012.

4. Shri J.K. Bajaj
Centre for Policy Studies
27, Rajasekharan Street
Mylapore, Chennai-600004.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to all concerned.

Ravi Mathur
Joint Secretary

(Bureau of Technical Education)

New Delhi, the 16th January, 2004

RESOLUTION

SUBJECT: Constitution of National Competency Testing Agency (NCTA).

No. F. 5-2/2003-TS-VIII

A Centrally sponsored scheme of Vocationalisation of education is in operation since 1988. On the recommendation of various review groups/committees the scheme is being revised to make it modular in nature and competency based. The revised scheme of Vocational Education and Training shall be a distinct stream intended to prepare students for identified occupation spanning several areas of activities. The curriculum design shall be on multi-entry and multi-exit pattern. The curriculum shall be such that there shall be synergy of theory and practical training in the ratio of 1:2. The industrial training will be an extension of the classroom training in the presence of supervisor. There shall be continuous evaluation of competencies.

2. The revised scheme of VET envisages setting up of a National Competency Testing Agency (NCTA) by the Central Government to evolve criteria and methodologies for determining the levels of skill profiles, assessment of competencies, accreditation of assessment centers and assessors, quality center and other aspects related to the scheme. At the state level, suitable institutions shall be identified and designated by NCTA as Assessment Centers (ITIs, Polytechnics, Engineering Colleges, State Boards of Vocational Education etc.). They shall undertake competency testing of individuals on fee basis. The Assessment Centres shall only do the testing. The credit/certificate shall be awarded by NCTA. NCTA should work out a method by which a certain level of certification given by them is equated with the degrees of the conventional system.. The credit system shall be developed and equivalence of the courses/ programmes shall be carried out by expert committee(s). NCTA shall also ensure vertical mobility within the VE Stream. NCTA shall be set up under the umbrella of All India Board of Vocational

Education (AIBVE) already existing in AICTE and having statutory powers for setting up and implementing the norms and standards for vocational education.

3. For working out the modalities for setting up of NCTA, a national level committee of experts consisting of the following members has been constituted:

1.	Additional Secretary, Deptt. S &HE. Ministry of HRD	**Chairman**
2.	Chairman, All India Council for Technical Education (AICTE),New Delhi	Member
3.	Chairman, Central Board of Secondary Education (CBSE) ,New Delhi	Member
4.	Director, National Council for Educational Research and Training (NCERT), New Delhi	Member
5.	Dr. G.C. Maheshwari Professor M.S. University of Baroda Vadodara, Gujarat	Member
6.	Prof. J.L. Azad NIEPA New Delhi	Member
7.	President, Laghu Udyog Bharati, New Delhi	Member
	(Six Representatives of Industry/Business Associations)	
8.	Secretary General, ASSOCHAM	Member
9.	Chairman, National Textile Corporation of India	Member
10.	Chairman, Engineers India Limited EIL Bhavan, Bhikaji Cama Place, New Delhi	Member
11.	Managing Director, Central Cottage Industries India Ltd, Janpath, New Delhi	Member
12.	Project Manager, Confederation of Construction Products & Services, N.Delhi	Member
13	Director, Indian Roads and Transport Development Association	Member

MINISTRY OF H.R.D.

14.	Joint Secretary (T)	Member
15	Joint Secretary (HE)	Member
16.	Joint Secretary (SE)	Member
17.	Financial Adviser (HRD)	Member

MINISTRY OF LABOUR

18.	Joint Secretary & D.G.E.T. Ministry of Labour	Member
19.	Joint Director,PSSCIVE, Bhopal	Member

(Two Principals of Technical Teachers Training Institutes)

20.	The Principal, Technical Teachers' Training Institute Chandigarh	Member
21.	The Principal Technical Teachers' Training Institute Chennai	Member
22.	Director/DS (Voc.Edn),MHRD	Member-Secretary

4. The Committee after detailed deliberations will prepare the guidelines for setting up of NCTA and will submit its report. The National Competency Testing Agency (NCTA) shall determine its own procedure of work and shall meet as frequently as deemed necessary. The term of the Committee will complete on preparation of the guidelines for the setting up of NCTA.

ORDER

Ordered that the copy of the Resolution be sent to all State Governments/Union Territory Administrations, All Ministries/Departments of the Government of India and the concerned agencies and employers organizations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V.S. Pandey
Joint Secretary

RESOLUTION

SUBJECT: Vocationalisation of Education – Constitution of National Committee for Vocational Education Qualifications and Certifications Framework (NCVEQCF)

No. F. 5-2/2003-TS-VIII

In pursuance of the National Policy on Education, a Centrally sponsored scheme of Vocationalisation of Secondary Education at + 2 level was launched in 1988, modified in 1992-93, to provide diversification of educational opportunities so as to enhance individual employability, reduce the mismatch between demand and supply of skilled manpower and also to provide an alternative for those pursuing higher education. Based on the recommendations of various review groups/committees the scheme is being modified to make it more relevant and employment oriented. The courses shall be modular in nature and competency based. The curriculum design shall be on multi-entry and multi –exit pattern. The student shall have opportunity for vertical mobility to advanced levels of competencies in the same vocation. Opportunities for multi-skills shall be available to the students to improve employability. The student shall also have opportunity for lateral mobility to change from vocational stream to academic stream and vice-versa.

2. In order to implement the above mentioned scheme, a framework is required to be developed for identification of qualifications based on occupational standard of competence at national level. The system shall describe the essential knowledge, understanding and skills a person should achieve to be fully competent. The qualifications Framework of NVE provides for a comprehensive, nationally consistent, yet flexible framework for all qualifications in the field of academics and technical/vocational

training. Recognizing the fact that schools sector, vocational education and training sector, and higher education sector, each have different industry and institutional linkages, the Qualification Framework connects these different sectors into single framework incorporating levels of study, titles of qualifications and guidelines covering learning outcomes, pathways to the qualification, assessment and accreditation. For the development of the system known as "National Vocational Education Qualifications and Certification Framework" (NVEQCF), a committee of experts and officials has been constituted. The Committee known as National Committee for Vocational Education Qualifications and Certification Framework (NCVEQCF) will have the following composition: -

1.	Chairman, All India Council of Technical Education (AICTE), New Delhi	Chairman
2.	Chairman, University Grants Commission (UGC),	Member
3.	Chairman, Central Board of Secondary Education, (CBSE), New Delhi	Member
4.	Director, National Council for Educational Research and Training (NCERT), New Delhi	Member
5.	Director, UP Board of Intermediate Education.	Member
6.	Chairman, Maharashtra Board of Secondary Education.	Member
7.	Director, Tamil Nadu Board of Secondary Education	Member

(Three Educationists/Experts in the field of Vocational Education)

8.	Prof. V.S. Raju Plot No. 74, Road No.9 Jubilee Hills, Hyderabad-500003, Andhra Pradesh	Member
9.	Dr. Anil Gupta Prof. IIM, Ahmedabad	Member
10.	Dr. T.N. Dhar Educational Planner,Yojana Vihar, New Delhi	Member

(Three persons from Voluntary Agencies engaged in Vocational Education)

11.	*	
12.	Brother T.V. Mathew Superintendent, Don Bosco Technical School Liluah, Howrah	Member
13.	Dr. A.K. Basu Chief Executive Society for Rural Industrialization Ranchi	Member

(Six Representatives of various Industry/ Business Associations)

14.	Secretary General, ASSOCHAM	Member
15.	Project Manager, Confederation of Construction Products and Services M-19, Mezzanine Floor, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi -19	Member
16.	Chairman, Engineers India Limited EIL Bhavan, Bhikaji Cama Place, New Delhi	Member
17.	President Laghu Udyog Bharati, New Delhi	Member
18.	Chairman, Rubber Board of India	Member
19.	Managing Director, Central Cottage Industries India Ltd, Janpath, New Delhi	Member

MINISTRY OF H.R.D.

20.	Joint Secretary (Technical Education)	Member
21.	JS (Higher Education)	Member
22.	Joint Secretary (Secondary Education)	Member

MINISTRY OF LABOUR

23.	JS & D.G.E.T. Ministry of Labour	Member

24. Director/Deputy Secretary
Vocational Education
Ministry of HRD — Member - Secretary

3. The Committee shall describe the essential knowledge, understanding and skills a person should achieve to be fully competent. The Committee after detailed discussions and deliberations shall prepare the Qualification and Certification Framework for Vocational Education and submit its Report.

4. The National Committee for Vocational Education Qualifications and Certifications Framework (NCVEQCF) shall determine its own procedure of work and shall meet as frequently as deemed necessary.

ORDER

Ordered that the copy of the Resolution be sent to all State Governments/Union Territory Administrations, All Ministries/Departments of the Government of India and the concerned agencies and employers organizations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V.S. Pandey
Joint Secretary

RESOLUTION

SUBJECT: Vocationalisation of Education – Constitution of National Advisory Committee on Vocational Education and Training (NACVET).

*****

No. F. 5-2/2003-TS-VIII

In pursuance of the National Policy on Education, a Centrally sponsored scheme of Vocationalisation of Secondary Education at + 2 level was launched in 1988, modified in 1992-93, to provide diversification of educational opportunities so as to enhance individual employability, reduce the mismatch between demand and supply of skilled manpower and also to provide an alternative for those pursuing higher education. This scheme was reviewed/evaluated by various agencies in the year 1993, 1995, 1996 and by NCERT in 1998. Based on the recommendation of the various review groups/committees, the existing scheme of vocationalisation of secondary education is being revised to make it modular in nature and competency based. The proposed scheme shall be on multi-entry and multi-exit pattern and student shall have opportunity to vertical mobility to advanced levels of competencies in the same vocation. This scheme shall have intensive interaction with industries and other employers so as to make it total demand driven. There is a provision in the proposed scheme to have practical training conducted in the nearby industry/enterprise/resource center.

2. In supersession of the Notification No. F. 7-3/88-VE dated 20.4.90 constituting the Joint Council for Vocational Education, it has been decided to constitute a National Advisory Committee on Vocational Education & Training (NACVET) to provide overall policy guidelines and to ensure proper

implementation, planning and co-ordination of the scheme of Vocational Education & Training (VET). Its functions shall be as follows: -

(i) Formulation of National Vocational Education Qualifications and Certifications Framework (NVEQCF) based on the recommendations of National Committee for Vocational Education Qualifications and Certifications Framework (NCVEQCF).

(ii) Formulation of guidelines for selection of institutions for vocational education.

(iii) Formulation of curriculum for recognized vocational Trades and approval of guidelines for recognition of prior learning for identified trades.

(iv) To approve modalities for setting up of National Competency Testing Agency (NCTA)

(vi) Planning and coordination of vocational Programmes conducted by different organizations/Ministries;

(vii) Lay down guidelines for development of vocational programmes at all levels;

(viii) Evolve programmes for involvement of public/private sector industry in vocational education;

(ix) Prepare schemes for undertaking programmes of vocational education for workers and imparting vocational education through non-formal programmes;

(x) Periodical review of implementation of the scheme Vocational Education & Training (VET).

The National Advisory Committee on Vocational Education & Training (NACVET) will be an umbrella body under the Ministry of Human Resource Development with the following composition: -

1.	Secretary, (Deptt. of S & HE) Ministry of HRD	**Chairman**
2.	Chairman, All India Council for Technical Education (AICTE),New Delhi	Member

3.	Chairman, Central Board of Secondary Education (CBSE), New Delhi.	Member
4.	Director, National Institute of Open Schooling (NIOS), New Delhi.	Member
5	Director, National Council for Educational Research and Training (NCERT), New Delhi	Member
6	Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan,(KVS)	Member
7.	Prof.Dr. V.S. Raju Plot No. 74, Road No.9 Jubilee Hills Hyderabad-500003, Andhra Pradesh	Member
8.	Dr. Anil Gupta Prof. IIM, Ahmedabad	Member
9.	Dr. T.N. Dhar Educational Planner Yojana Vihar, Delhi	Member

(Two persons from Voluntary Agencies engaged in Vocational Education)

10.	*	
11.	Brother T.V. Mathew Superintendent, Don Bosco Technical School Liluah, Howrah	Member

(3 Representatives of Industry/Business Associations)

12.	Secretary General, ASSOCHAM	Member
13.	President, Laghu Udyog Bharati IE/11,Swami Ram Tirath Nagar Jhandewalan Extn. New Delhi-55	Member
14.	Dr.Mahesh Sharma,Chairman, Khadi Gram Udyog Ayog, 1-A, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110001.	Member

Ministry of HRD

15.	Joint Secretary (Higher Education)	Member
16.	Joint Secretary (Secondary Education)	Member
17.	Joint Secretary & Financial Adviser (HRD)	Member
18.	Joint Secretary & D.G.E.T. Ministry of Labour	Member
19.	Joint Secretary (Technical) Ministry of HRD	Member- Secretary

3. The National Advisory Committee of Vocational Education (NACVET) shall determine its own procedure of work and shall meet at least once a year.

ORDER

Ordered that the copy of the Resolution be sent to all State Governments/Union Territory Administrations, All Ministries/Departments of the Government of India and the concerned agencies and employers organizations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V.S. Pandey
Joint Secretary

(Department of Women and Child Development)

New Delhi-110 001, the 16th February 2004

RESOLUTION

No. 10-3/96-IMY/RMK

In pursuance of the provision of Rule 9 (I) of Rules and Regulations of Rashtriya Mahila Kosh and in partial modification of the Resolution No. 10-3/96-IMY/RMK dated 1-8-2000, the Government of India nominates the following persons as members of the Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh with immediate effect for a period of three years or until further orders, whichever is earlier:-

1.	Sh. Rakesh Mittal D-II/505, JALTARANG Lok Puram 2nd Pokharan Road Thane (W) – 400 601 Maharashtra	-	Existing member
2.	Ms. Kranti Arun Sathe 5-B, Buona Casa, 2nd Floor Sir. P.M. Road, Fort Bombay – 400 023	-	Existing member
3.	Smt. Surama Padhy Plot No. 1267/1A, Nayapalli Bhubaneswar, Orissa – 751 012	-	Existing member
4.	Sh. Ajit Kumar Maity CEO, F-3, Geetanjali Park, 18/3-A Kumud Ghoshal Road, Araidaha Kolkata – 700 057	Vice	Smt. Kiran Maheshwari "Sai Kiran" 457, Ambamata Yojana Udaipur – 313 001
5.	Padmashri Jaya Arunachalam President, Working Women's Forum 55, Bhimasena Garden Road Mylapore, Chennai – 600 004	Vice	Sh. Anil Bhoje Jain G-1, Pooja Apartments 34, Grater Tirupati Colony Indore, Madhya Pradesh – 452001

6.	Representative from Deen Dayal Sodh Sansthan, 7-E, Swami Ramtirath Nagar, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055	Vice	Ms. Supriya M. Kelovkar 5, Chinar Gardens K.B. Joshi Road,Shivajinagar Pune – 411 005
7.	Dr. Rani Bang, "SEARCH', Garh Cheroli, Maharashtra.	Vice	Sh. A.L Narsimha Murty Secretary, VJNNS C/o Grama Siri, J.P. Nagar Nandiraju Thota, Guntur, A.P. – 522 120

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

Veena S. Rao
Joint Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004